

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी- 4687

दिनांक: 11-10-10

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 155वीं बैठक दिनांक 21.09.2010 में लिये गये निर्णय का विवरण

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 155.1	कार्यकारी समिति की 153वीं दिनांक 19.07.10 एवं 154वीं बैठक दिनांक 16.08.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 153वीं व 154वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की आगामी बैठक में पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 155.2	भूखण्ड संख्या ई-55, योजना महल विस्तार की राशि विलम्ब से जमा कराने पर नियमितिकरण किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या ई-55, योजना महल विस्तार की राशि विलम्ब से जमा कराने पर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-9	
3 155.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि के ख.नं. 389 रकबा 16.94 हैक्ट. में से 10 बीघा भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि के ख.नं. 389 रकबा 16.94 हैक्ट. में से 10 बीघा भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय करने हेतु परिपत्र दिनांक 16.04.10 के परिपेक्ष्य में निषेध होने के कारण राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यकता है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.10(221)नवि/3/2010 दिनांक 31.08.10 की अनुपालना में समिति द्वारा विचार विमर्श कर धारा 25 (3) की कार्यवाही उपरान्त कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
4 155.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर के ख.नं. 37 रकबा 1.1780 हैक्ट. में से 0.8865 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 41/1 रकबा 0.1120 हैक्ट. किता 2 रकबा 0.9985 हैक्ट. भूमि में से सड़क से प्रभावित भू-पट्टी 162.00 वर्गमीटर व सड़क के सहारे व्यावसायिक भू-पट्टी में से जविप्रा की 290.85 वर्गमीटर भूमि छोड़ते हुए शेष 9532.15 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री मोदी शिक्षण संस्थान)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर संस्थान की भूमि तक विद्यमान सड़क कच्चा रास्ता होने के कारण प्रकरण स्थगित किया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
5 155.5	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित आवासीय (फ्लेट्स) क्षेत्रफल 2907.3 वर्गमीटर को निलामी में किये गये बेचान के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में। (एडवेंचर इन्टरटेजमेन्ट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित आवासीय (फ्लेट्स) क्षेत्रफल 2907.3 वर्गमीटर को निलामी में किये गये बेचान का व्यावसायिक (मल्टीप्लेक्स) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.04.10 के बिन्दु सं. 4.9 के परिपेक्ष्य में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner of the page.


ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
6 155.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नम्बर 546 रकबा 1.26 हैक्ट. ख.नं. 547 रकबा 2.53 हैक्ट. ख.नं. 551 रकबा 2.53 हैक्ट. ख. नं. 607 रकबा 1.07 हैक्ट. ख.नं. 549 रकबा 3.79 हैक्ट. ख.नं. 567 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 569 रकबा 3.56 हैक्ट. ख.नं. 548 रकबा 2.53 हैक्ट. ख.नं. 559 रकबा 0.75 हैक्ट. ख.नं. 560 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 561 रकबा 0.76 हैक्ट. ख. नं. 562 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 563 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 564 रकबा 3.32 हैक्ट. ख.नं. 566 रकबा 0.20 हैक्ट. कुल किता 15 रकबा 23.90 हैक्ट. मे से ख. नं. 607 रकबा 1.07 हैक्ट. ख.नं. 546 रकबा 1.26 हैक्ट. कुल योग 2.33 हैक्ट. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रभावित भू-पट्टी क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर एवं ख.नं. 571 को सडक सम्पर्क दिये जाने हेतु 30 मीटर चौड़ाई की सडक में आने वाले क्षेत्रफल लगभग 1.0 हैक्ट. कुल रकबा 3.36 हैक्ट. भूमि को कम करते हुए शेष 20.54 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. ग्रास फील्ड फायर कैपीटल डवलपर्स प्रा.लि)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बाण्डी नदी के कैचमेन्ट ऐरिया (Catchment Area) में स्थित भूमि व नदी के पार स्थित भूमि को छोड़ दिया जावे तथा आवेदक से यह पूछा जावे, क्या योजना के भूखण्ड विक्रय कर चुका है तथा मौके पर विकास कार्य (सडके व डिमार्केशन) करवा चुका है। इसके बाद प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
7 155.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम खोखवास तहसील सांगानेर के ख.नं. 782/80मि., 82मि. 83मी., 84मी., 85मी., 86मी. रकबा 0.2566 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण बाबत्।	ग्राम खोखवास तहसील सांगानेर के ख.नं. 782/80मि., 82मि. 83मी., 84मी., 85मी., 86मी. रकबा 0.2566 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक करने बाबत् एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत एजेण्डा नोट में मौके पर भवन निर्माण भवन विनिमय 2010 के अनुरूप नहीं है अर्थात् सैटबैक (Violation) होने के कारण आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भवन निर्माण कार्य में संशोधन करना पडा तो प्रार्थी संशोधन कर देगा। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.04.10 के अनुशरण में पुर्वानुमति की आवश्यकता है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.10(221)नविवि/3/2010 दिनांक 31. 08.10 की अनुपालना में समिति द्वारा विचार विमर्श कर धारा 25 (3) की कार्यवाही उपरान्त कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
8 155.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नीदंड तह. आमेर के ख.नं. 1551/3412, 1552, 3541/262, 1402, 1380, 1379, 1391, 1393, 489/2, 267, 268, 269/1, 270, 271, 1539, 1540, 1541, 1542/2, 1543/1, 1543/3, 1544/1, 1546/1, 1546/3, 1546/4, 1547/2, 1548/1, 1548/3, 1549/1, 1549/3, 1550, 1551, 1313, 1403, 470, 478, 1417, 1428, 1430, 488, 502, 503, 514 व 488/3529 कुल किता 43 रकबा 18.11 हैक्ट. अर्थात् 181100 वर्गमीटर में से गैस पाईप लाईन से प्रभावित 6300.00 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित 100 फिट की सडक से प्रभावित 1200.00 व.मी. कुल 7500.00 व.मी. भूमि को छोड़ते हुये शेष 173600.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से आवासीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. जैमस्टार ज्वैलरी प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नीदंड तह. आमेर के ख.नं. 1551/3412, 1552, 3541/262, 1402, 1380, 1379, 1391, 1393, 489/2, 267, 268, 269/1, 270, 271, 1539, 1540, 1541, 1542/2, 1543/1, 1543/3, 1544/1, 1546/1, 1546/3, 1546/4, 1547/2, 1548/1, 1548/3, 1549/1, 1549/3, 1550, 1551, 1313, 1403, 470, 478, 1417, 1428, 1430, 488, 502, 503, 514 व 488/3529 कुल किता 43 रकबा 18.11 हैक्ट. अर्थात् 181100 वर्गमीटर में से गैस पाईप लाईन से प्रभावित 6300.00 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित 100 फिट की सडक से प्रभावित 1200.00 व.मी. कुल 7500. 00 व.मी. भूमि को छोड़ते हुये शेष 173600.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से आवासीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

202

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
		गया।		
9 155.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चौसला तह. चाकसू के ख.नं. 689, 690, 697 से 699, 702, 778, 985 से 988, 974, 976, 977, 984, 703, 704, 847, 850, 840, 981, 982, 820/1008, 838/1009 कुल किता 24 रकबा 44.19 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक एवं नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चौसला तह. चाकसू के ख.नं. 689, 690, 697 से 699, 702, 778, 985 से 988, 974, 976, 977, 984, 703, 704, 847, 850, 840, 981, 982, 820/1008, 838/1009 कुल किता 24 रकबा 44.19 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक एवं नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संस्था द्वारा शर्तों की पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं? वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) व जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
10 155.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बाढमोहनपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 20 क्षेत्रफल 17845.98 व.ग. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रुप हाउसिंग से पर्यटन ईकाई (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (नामदेव बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बाढमोहनपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 20 क्षेत्रफल 17845.98 व.ग. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रुप हाउसिंग से पर्यटन ईकाई (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
11 155.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम गणेशपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 133, 136/1, 136/2, 136/3, 139, 140, 148, 150, 161 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा में से क्षेत्रफल 23715.01 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने के संबंध में। (कार्यकारी समिति की 143वीं बैठक दिनांक 01.10.09 के निर्णय के संशोधन के संबंध में)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर आवेदित भूमि तक विद्यमान सडक स्पष्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण स्थगित किया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
12 155.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के ख.नं. 1454 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1455 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.नं. 1456 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.नं. 1457 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.नं. 1458 रकबा 0.07 हैक्ट., ख.नं. 1459 रकबा 0.08 हैक्ट., ख.नं. 1450 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.नं. 1451 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.नं. 1452 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.नं. 1453 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.नं. 1460 रकबा 0.40 हैक्ट., ख.नं. 1461 रकबा 0.68 हैक्ट., ख.नं. 1462 रकबा 0.13 हैक्ट., ख.नं. 1463 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.नं. 1464 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.नं. 1465 रकबा 0.37 हैक्ट., ख.नं. 1468 रकबा 0.32 हैक्ट., ख.नं. 1469 रकबा 0.31 हैक्ट., ख.नं. 1470 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.नं. 1471 रकबा 0.32 हैक्ट., ख.नं. 1472 रकबा 0.29 हैक्ट., ख.नं. 1473 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.नं. 1474 रकबा 0.42 हैक्ट., ख.नं. 1475 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.नं. 1476 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1477 रकबा 0.40 हैक्ट., ख.नं. 1478 रकबा 0.39 हैक्ट., ख.नं. 1479 रकबा 0.52 हैक्ट., ख.नं. 1481 रकबा 0.51 हैक्ट., ख.नं. 1482 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.नं. 1288/1 रकबा 0.15 हैक्ट., ख.नं. 1298/1 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1301/1 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1302/1 रकबा 0.14 हैक्ट.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के ख.नं. 1454 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1455 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.नं. 1456 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.नं. 1457 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.नं. 1458 रकबा 0.07 हैक्ट., ख.नं. 1459 रकबा 0.08 हैक्ट., ख.नं. 1450 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.नं. 1451 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.नं. 1452 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.नं. 1453 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.नं. 1460 रकबा 0.40 हैक्ट., ख.नं. 1461 रकबा 0.68 हैक्ट., ख.नं. 1462 रकबा 0.13 हैक्ट., ख.नं. 1463 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.नं. 1464 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.नं. 1465 रकबा 0.37 हैक्ट., ख.नं. 1468 रकबा 0.32 हैक्ट., ख.नं. 1469 रकबा 0.31 हैक्ट., ख.नं. 1470 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.नं. 1471 रकबा 0.32 हैक्ट., ख.नं. 1472 रकबा 0.29 हैक्ट., ख.नं. 1473 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.नं. 1474 रकबा 0.42 हैक्ट., ख.नं. 1475 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.नं. 1476 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1477 रकबा 0.40 हैक्ट., ख.नं. 1478 रकबा 0.39 हैक्ट., ख.नं. 1479 रकबा 0.52 हैक्ट., ख.नं. 1481 रकबा 0.51 हैक्ट., ख.नं. 1482 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.नं. 1288/1 रकबा 0.15 हैक्ट., ख.नं. 1298/1 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1301/1 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1302/1 रकबा 0.14 हैक्ट.	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	


ए.सं.	विषय	बैठक में दिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
	ख.नं. 1295 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.नं. 1296 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1297 रकबा 0.15 हैक्ट., ख.नं. 1289 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.नं. 1307 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1304 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.नं. 1305 रकबा 0.07 हैक्ट., ख.नं. 1320 रकबा 0.29 हैक्ट., ख.नं. 1321 रकबा 0.26 हैक्ट., ख.नं. 1318 रकबा 0.25 हैक्ट., ख.नं. 1319 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.नं. 1314 रकबा 0.25 हैक्ट., ख.नं. 1315 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.नं. 1317 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 48 कुल रकबा 10.86 हैक्ट. अर्थात् 129884.50 वर्गगज भूमि में से प्रस्तावित 100'-100' सड़को में निहित होने वाली 5171.66 व.ग. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 124712.84 व.ग. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से आवासीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (गोपाल लाल)	0.51 हैक्ट., ख.नं. 1482 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.नं. 1288/1 रकबा 0.15 हैक्ट., ख.नं. 1298/1 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1301/1 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1302/1 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1295 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.नं. 1296 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1297 रकबा 0.15 हैक्ट., ख.नं. 1289 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.नं. 1307 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.नं. 1304 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.नं. 1305 रकबा 0.07 हैक्ट., ख.नं. 1320 रकबा 0.29 हैक्ट., ख.नं. 1321 रकबा 0.26 हैक्ट., ख.नं. 1318 रकबा 0.25 हैक्ट., ख.नं. 1319 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.नं. 1314 रकबा 0.25 हैक्ट., ख.नं. 1315 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.नं. 1317 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 48 कुल रकबा 10.86 हैक्ट. अर्थात् 129884.50 वर्गगज भूमि में से प्रस्तावित 100'-100' सड़को में निहित होने वाली 5171.66 व.ग. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 124712.84 व.ग. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से आवासीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।		
13	155.13 राजस्व ग्राम भांकरोटा कलां तह. सांगानेर के ख.नं. 112, 1128, 1129, 1130, 1131 आदि की भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) बाबत। (श्री नवरतन कोठारी) (कार्यकारी समिति की 133वीं बैठक दिनांक 23.09.08 के निर्णय के संशोधन के संबंध में)	राजस्व ग्राम भांकरोटा कलां तह. सांगानेर के ख.नं. 112, 1128, 1129, 1130, 1131 आदि की भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था। विचार विमर्श पश्चात् आवेदित भूमि (आवासीय ग्रुप हाउसिंग योजना) तक पहुंच मार्ग पृथक से दर्शाया है के सन्दर्भ में अन्य भूमि से अप्रोच सड़क के संबंध में जांच कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
14	155.14 जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सांगानेर तह. सांगानेर के ख.नं. 3946/4911, 3945 रकबा 0.10 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में संस्थानिक से व्यावसायिक भू-उपयोग उपान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। (भीमसेन गोगिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सांगानेर तह. सांगानेर के ख.नं. 3946/4911, 3945 रकबा 0.10 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में संस्थानिक से व्यावसायिक भू-उपयोग उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
15	155.15 To invite Tenders under Pre Qualification System instead of Two Bid System for the work 'Supply of Mix material for Patch Repais, Renewal & Patch Repair on main roads by paver finisher in JDA region. Rate Contract (Part I,II,III, IV & V)	After discussing the facts and looking to the urgency of road repair works on city roads, post facto approval was granted by the committee for calling tenders under pre-qualification system with relaxation in criteria as per agenda along with adopting the items of PWD NH-BSR 2009.	Executive Eng. (TA Cell)	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
16	155.16	Defect Liability Period (DLP) for Road Works costing Rs. 25.00 Lacs and more.	After discussing the facts of agenda for inclusion of defect liability period (DLP) clause for JDA roads was approved by the committee. The defect liability period will be applicable for drains also which are existing of constructed along the roads.	Executive Eng. (TA Cell)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
17	155.17	Agenda Regarding Approval of Tender for the work "Development of Statue Circle Area, Jaipur."	The Agenda was Placed before the committee & discussed in detail. After detail discussion EC found the rates competitive & reasonable and decided to approve the tender in the favor of lowest tenderer M/s Harinarayan Khandelwal with BSR part including 11.41% above on BSR 2006 amounting to Rs. 16,62,96,378.59 & Non BSR Item No. 1 Rs. 1400.00 Per Rmt., Item No.2 Rs 38000.00 Per Rmt., Item No. 3 Rs. 250.00 Per Mtr. and Item No. 4 Rs. 1100.00 Per Sqm. amounting to Rs. 1,07,45,000.00 thus aggregates amounting to Rs. 17,70,41,378.59 without any condition.	Executive Eng. (Project-3)	
18	155.18	Agenda Regarding Approval of Tender for the work "Development of 2-level Underground Parking Facility at Ram Niwas Garden, Jaipur."	The agenda was placed before the committee & dicussed in detail. After detail discussion EC found the rates competitive & reasonable and decided to approve the item wise rates received in tender in the favor of lowest tender M/s Laxmi Narayan Agarwal Ltd. amounting to Rs. 32,59,42,803.80 without any condition.	Executive Eng. (Project-3)	
19	155.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जयपुर वाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना धीरं विहार के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 1 से 8 व 17 व 18 क्षेत्रफल 5999.90 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.04.10 के अनुशरण में जिन प्रकरणों में राज्य सरकार की पुर्वानुमति की आवश्यकता है ऐसे प्रकरणों में परिपत्र दिनांक 31.08.10 में गुणवागुण के आधार पर प्रकरण में परीक्षण उपरान्त जविप्रा अधिनियम 1982 धारा 25 (3) एवं कार्यकारी समिति के निर्णय के परिपेक्ष्य में पुर्वानुमति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे एवं अन्य प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	


 सदस्य सचिव
 कार्यकारी समिति
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 155वीं बैठक दिनांक 21.09.10 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती गायत्री ए राठौड़	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एम.पी. स्वामी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एच.एस. संचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री उदय सिंह	EE	पीडब्ल्यूडी	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री अशोक कुमार शर्मा	अति. पुलिस अधिक्षक	पुलिस हेडक्वार्टर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10	श्रीमती सुची शर्मा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री ललित शर्मा	अति. मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री बी.डी. शर्मा	S.E.-I	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री अजय गर्ग	E.E-TA	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री गिरीश पाराशर	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री पी.सी. शर्मा	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री पी.अरविन्द	एसटीपी (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्रीमती नर्बदा इन्दोरिया	ओएसडी (पीआर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	



 सचिव,
 जयपुर, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी-4687
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 11-10-10

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	ज़िला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अघोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।


सचिव,
जविप्रा, जयपुर